न्यायालय –सिविल जज (सी0डि0) प्रथम, हाजीपुर, वैशाली

<u>स्वत्व वाद संख्याः–1368/2022.</u>

उपस्थित– **मानस कुमार,**
सिविल जज (सी0डि0) 'प्रथम,
हाजीपुर, वैशाली।

Web copy not official

CIS No. **:-T.S/1368/2022**
CNR No. **:-BRVA03-002254-2022**

जितेन्द्र कुमार..वादी

बनाम

रीता देवी व अन्य..प्रतिवादीगण

दिनांक
04.06.2024

अभिलेख पेश हुई। वाद का पुकार कराया गया। वादी की ओर से पैरवी नहीं की गयी। अभिलेख वादी को त्रुटि के निराकरण हेतु लम्बित है। वाद की बार–बार पुकार कराये जाने पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद वादी जितेन्द्र कुमार की ओर से प्रतिवादीगण रीता देवी व अन्य के विरूद्ध वादपत्र के मद नं0–1 के निस्वत भूमि का 1/10 हिस्से की प्रारम्भिक डिक्री की घोषणा हेतु इस न्यायालय में दिनांक 15.10.2022 को संस्थित किया गया था, तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा सिरिस्तेदार से कार्यालय प्रतिवेदन की मांग की गयी। कार्यालय प्रतिवेदन के अनुसार वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कायम नहीं किया गया है एवं वाद से संबंधित कागजात दाखिल नहीं किया गया है, तत्पश्चात् वादी को उक्त त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिनांक 29.08.2023 को दिया गया, परन्तु वादी द्वारा दिनांक 29.08.2023 से लेकर आज दिनांक 04.06.2024 तक न्यायालय द्वारा आपेक्षित त्रुटि को दूर नहीं किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रगट होता है कि वादी की ओर से इस

न्यायालय –सिविल जज (सी0डि0) प्रथम, हाजीपुर, वैशाली

<u>स्वत्व वाद संख्याः–1368 / 2022.</u>

वाद में दिनांक 19.10.2022 से आज दिनांक 04.06.2024 तक पैरवी करना छोड़ दिया गया है जो इस बात का प्रमाण है कि वादी की इस वाद में अभिरूची समाप्त हो गयी है।

अभिलेख के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि वादी की ओर से इस वाद में दिनांक 29.08.2023 के कार्यालय प्रतिवेदन के अनुसार वादी को त्रुटि को दूर करने हेतु चला आ रहा है तथा आज दिनांक 04.06.2024 तक उक्त त्रुटि का निवारण नहीं किया गया, जिससे प्रगट होता है कि अब इस वाद में उसकी अभिरूची समाप्त हो गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में वादी द्वारा संस्थित वादपत्र दिनांक 15.10.2022 आपेक्षित त्रुटि का निवारण नहीं किये जाने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 07 नियम 11 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

सिविल जज (सी0डि0) 'प्रथम'
हाजीपुर, वैशाली।

Web copy not official